विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 142 रायपुर, दिनांक 16 JUL 2026

प्रति,

1. श्री फुल्लम चंद्राकर,
   पिता श्री सी.आर. चंद्राकर,
   मकान नं. 21, मानवी विहार,
   विनोद जैन कॉलोनी अमलीडीह,
   जिला रायपुर (छ.ग.)
   मोबाईल नं. : 99076–07126

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 18 / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त–एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 18 / 2026

सस्थित दिनांक 02.06.2026

श्री फुल्लम चंद्राकर, ...परिवादी
पिता श्री सी.आर. चंद्राकर,
मकान नं. 21, मानवी विहार,
विनोद जैन कॉलोनी अमलीडीह,
जिला रायपुर (छ.ग.)
मोबाईल नं. : 99076–07126

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण), ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 16 / 07 / 2026 को पारित)

परिवादी की, विद्युत जनरेशन कंपनी से सेवानिवृत्ति पश्चात उसके विद्युत देयक में दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की राशि रू. 8705.00 को नियमित देयक में जोड़कर वसूल कर लिए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. मानवी विहार, अमलीडीह रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 4.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1001912488 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी के नियमित कर्मचारियों के लिए अपने विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त किए जाने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत की विभागीय छूट प्राप्त किए जाने का विकल्प विभागीय नियमों के अनुसार है ।

ग. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, उसके विद्युत देयक में, माह जुलाई 2024 से माह अक्टूबर 2025 तक की अवधि में निर्धारित 25 प्रतिशत की विभागीय छूट के स्थान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही थी ।

घ. परिवादी के देयक में उत्तरवादी द्वारा जोड़ी गयी वसूली योग्य राशि का भुगतान आटो पे के माध्यम से हो चुका है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि तक विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को बिना किसी पूर्व सूचना के, बिलिंग का आधार या विवरण प्रदान किए बगैर ही माह अप्रेल 2026 के नियमित देयक मे जोड़कर वसूल कर लिए जाने की कार्यवाही को परिवादी द्वारा नियम विरूद्ध बताया गया है । EITC के एक पत्र का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए परिवादी द्वारा लेख किया गया है कि अतिरिक्त विभागीय छूट प्रदान किए जाते रहने के लिए उत्तरवादी की लापरवाही एवं उसका सैप सिस्टम जिम्मेदार है, इसमें परिवादी पूरी तरह से निर्दोष है । परिवादी के अनुसार उत्तरवादी द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ भी नहीं दिया गया जिसका वह एक सामान्य उपभोक्ता होने के कारण हकदार था । परिवादी द्वारा शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ देते हुए पूरक देयक राशि को पुनरीक्षित किए जाने की मांग की गयी है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 460 दिनांक 15.06.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

कार्यपालक निदेशक (राज.), रायपुर के पत्र दिनांक 06.11.2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवादी को उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की अंतर राशि (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की गणना करते हुए मांग पत्र जारी किया गया । परिवादी की सेवानिवृत्ति तिथि के बाद, माह जुलाई 2024 से माह अक्टूबर 2025 तक की अवधि में दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट राशि की गणना कर राशि रू. 12482.00 का मांग पत्र प्रेषित किया गया जिसे, परिवादी द्वारा दर्ज आपत्ति के आधार पर संशोधित करते हुए राशि रू. 8710.00 का मांग पत्र दिनांक 06.02.2026 को जारी किया गया । पूरक राशि का भुगतान न होने पर दिनांक 24.04.2026 को उक्त राशि परिवादी के नियमित देयक में जोड़ दी गयी ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या परिवादी के देयक में विभागीय अतिरिक्त छूट की राशि को जोड़कर वसूल कर लिए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है ।

(ii) क्या परिवादी को शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ नहीं देने की उत्तरवादी की कार्यवाही उचित है एवं क्या परिवादी, शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी है ।

(iii) क्या परिवादी को प्रदायित विभागीय अतिरिक्त छूट के लिए मात्र उत्तरवादी जिम्मेदार है । यदि है, तो क्या इस आधार पर परिवादी को प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट राशि निरस्त किए जाने योग्य है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में बिना किसी पूर्व सूचना के अतिरिक्त राशि रू. 8705.00 जोड़कर प्रेषित कर दी गयी जो कि नियम विरूद्ध है । उत्तरवादी का कथन है कि सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 एवं 9.27 के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया है –

सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 एवं 9.27 यथा –

9.26 Separate (supplementary) bills shall be issued for audit recovery and recoveries other than the regular monthly bill except for demand of additional security deposit.

9.27 While issuing the supplementary bill (for other than cases related to prejudicial use of energy) to the consumer the licensee along with the supplementary bill shall send a written details to the consumer explaining the reason, basis and period of such billing by giving fifteen days time for payment.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of supplementary bill. In case of non payment within due date the amount of supplementary bill liable to be added in next months regular monthly bill.

के अनुसार पूरक देयक प्रेषित किए जाने के साथ ही उपभोक्ता को पूरक देयक राशि की मांग का कारण, बिलिंग की अवधि एवं बिलिंग का लिखित विवरण भी प्रेषित किया जाना है । निर्धारित अवधि में उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में ही उक्त पूरक देयक राशि को नियमित मासिक देयक में जोड़ा जाना है । उत्तरवादी द्वारा नियमित देयक में राशि जोड़े जाने के पूर्व परिवादी को पत्र दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से वसूली योग्य राशि का मांग पत्र, उसके जारी होने के संक्षिप्त कारण सहित प्रेषित किया जाना एवं परिवादी द्वारा दर्ज आपत्ति के आधार पर मांग पत्र राशि में संशोधन करते हुए पुनः राशि

रू. 8710.00 का मांग पत्र, बिलिंग विवरण के साथ दिनांक 06.02.2026 को प्रेषित किया जाना स्पष्ट है । पूरक मांग पत्र राशि का भुगतान न होने की स्थिति में राशि रू. 8710.00 परिवादी के माह अप्रेल 2026 के नियमित देयक में जोड़ दी गयी जिसका भुगतान परिवादी द्वारा आटो पे के माध्यम से कर दिया गया है । अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि अपने देयक में उत्तरवादी द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिलिंग विवरण के अतिरिक्त राशि जोड़कर वसूल किए जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति पश्चात एक सामान्य उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ उत्तरवादी द्वारा प्रदान नहीं किया गया । परिवादी द्वारा मांग की गयी है कि सेवानिवृत्ति पश्चात की अवधि के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट का समायोजन उक्त "बिजली बिल हाफ" योजना की छूट से करते हुए मात्र अंतर राशि की वसूली की जाए ।

किसी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को उसके विद्युत देयक में विभागीय छूट एवं शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना की छूट एक साथ दिए जाने का प्रावधान विभागीय नियमों में नहीं है । चूंकि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात उसके विद्युत देयक में 25 प्रतिशत विभागीय छूट जारी रखते हुए ही अतिरिक्त छूट राशि की गणना की गयी है अतः शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया है । परिवादी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात विभागीय छूट/शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना संबंधी छूट प्राप्त करने संबंधी कोई विकल्प पत्र उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परिवादी को शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना संबंधी छूट का लाभ नहीं दिया जाना स्पष्ट होता है ।

परिवादी द्वारा शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तरवादी के समक्ष पूर्व में कभी भी आवेदन/विकल्प प्रस्तुत करने संबंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका । शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना के लिए राशि, राज्य शासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को, उसके द्वारा इस संबंध में प्रतिमाह की जाने वाली मांग (claim) के आधार पर प्रदान की जाती है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत वर्तमान आवेदन के आधार पर, प्रश्नगत अवधि (जुलाई 2024 से माह अक्टूबर 2025) को कालबाधित अवधि मानते हुए, भूतलक्षी प्रभाव से "बिजली बिल हाफ" योजना की छूट दिये जाने एवं तद्नुसार पूरक देयक राशि में संशोधन किए जाने की परिवादी की मांग को फोरम स्वीकार किए जाने योग्य नहीं मानता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता (EITC) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.03.2014 में कर्मचारियों को प्रदत्त विभागीय छूट की विसंगतियों को सुधारने का निर्देश दिया गया था लेकिन उत्तरवादी के मैदानी अधिकारियों द्वारा इस पत्र के अनुपालन में बरती गयी लापरवाही के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति प्रश्चात प्रदत्त विभागीय छूट में नियमानुसार परिवर्तन नहीं किया गया और 50 प्रतिशत विभागीय छूट के सेवानिवृत्ति पश्चात भी जारी रहने की परिस्थिति निर्मित हुई ।

अवगत हो कि परिवादी द्वारा संदर्भित पत्र में मुख्य अभियंता (EITC) द्वारा बिलिंग सिस्टम में कर्मचारियों का कर्मचारी क्रमांक दर्ज न होने से होने वाली संभावित त्रुटियों, जिसमें विभागीय छूट की विसंगति भी शामिल है, का उल्लेख करते हुए बिलिंग सिस्टम में अनिवार्य रूप से कर्मचारी क्रमांक दर्ज करने का निर्देश दिया था । परिवादी द्वारा यह लेख किया जाना सही है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की सेवानिवृत्ति का स्वतः संज्ञान न लेते हुए सेवानिवृत्ति पश्चात उसे दी जाने वाली विभागीय छूट में परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन परिवादी भी, अपनी सेवानिवृत्ति की जानकारी के साथ अपने देयक में प्रदान की जा रही विभागीय छूट को 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किए जाने का तथ्य उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट के जारी रहने के लिए उत्तरवादी एवं परिवादी दोनों ही जिम्मेदार हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 7235/2009, प्रकरण मेसर्स प्रेम कोटेक्स विरूद्ध उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में घोषित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की कंडिका 12 के अंश "This Court also held that Section 56(2) does not preclude the licensee from raising an additional or supplementary demand after the expiry of the period of limitation in the case of a mistake or **bonafide error**." के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में दर्शित उत्तरवादी की त्रुटि को भी इसी **bonafide error** की श्रेणी में रखा जाना उचित होगा । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट के जारी रहने के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं एवं विभागीय छूट के रूप में परिवादी द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त राशि मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि वह विभागीय लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है ।

9. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) परिवादी के देयक में जोड़कर वसूल की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि सही एवं नियमानुसार है ।

(ii) फोरम के अनुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

आदेश पारित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष